



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 श्रावण 1948 (श0)
(सं0 पटना 1011) पटना, बुधवार, 19 अगस्त 2026

सं० 10/एम 1-01/2026-02
उच्च शिक्षा विभाग

संकल्प

19 अगस्त 2026

विषय:— राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के दिशा-निर्देशों के मद्देनजर राज्य के लगभग 300 से अधिक एकल (Stand-Alone) शिक्षक-शिक्षा संस्थानों (B.Ed.) का बहुविषयक डिग्री महाविद्यालयों में रूपांतरण एवं शैक्षणिक सुदृढीकरण करने के संबंध में।

राज्य सरकार उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, समावेशन, नवाचार, अनुसंधान, कौशल विकास एवं बहुविषयक शिक्षा व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु संकल्पित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक स्वरूप प्रदान करते हुए विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में अध्ययन-अध्यापन, अनुसंधान तथा कौशल आधारित शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है।

2. इसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं विनियमों के माध्यम से एकल (Stand-Alone) शिक्षक-शिक्षा संस्थानों (B.Ed) को वर्ष 2030 तक बहुविषयक डिग्री महाविद्यालयों के रूप में विकसित किए जाने पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य ऐसे संस्थानों को डिग्री महाविद्यालय के रूप में परिवर्तित करते हुए इनमें शिक्षक-शिक्षा(B.Ed) के साथ-साथ कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं अन्य विषयों में स्नातक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संचालन को प्रोत्साहित करना है, ताकि विद्यार्थियों को एक ही परिसर में विविध शैक्षणिक अवसर उपलब्ध हो सकें।

3. उक्त के आलोक में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तथा प्रत्येक विद्यार्थी को उसके निवास स्थान के निकट गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार के संकल्प को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य में संचालित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त लगभग 300 से अधिक एकल शिक्षक-शिक्षा (B.Ed) संस्थानों को बहुविषयक डिग्री महाविद्यालयों के रूप में

विकसित किया जाना आवश्यक है। इससे विद्यार्थियों को अपने ही जिले अथवा निकटवर्ती क्षेत्र में उच्च शिक्षा के विविध अवसर उपलब्ध होंगे, उच्च शिक्षा तक पहुँच सुगम होगी, क्षेत्रीय असमानताओं में कमी आएगी तथा राज्य के सकल नामांकन अनुपात (GER) में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा।

4. उक्त उद्देश्य हेतु निम्न अनुरूप प्रक्रिया की जाएगी।—

- (i) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) से मान्यता प्राप्त एकल शिक्षक-शिक्षा (B.Ed) संस्थान जिनके पास अपेक्षित आधारभूत संरचना, भूमि, मानव संसाधन एवं शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध हों उन्हें संबंधित विश्वविद्यालय एवं सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत बहुविषयक शैक्षणिक कार्यक्रमों के संचालन एवं विस्तार हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी।
- (ii) निजी एकल शिक्षक-संस्थान, जिनके पास वर्तमान में बहुविषयक उच्च शिक्षण संस्थान हेतु निर्धारित न्यूनतम भूमि, शैक्षणिक एवं मानव संसाधन उपलब्ध हों वैसे संस्थानों को संस्थागत विकास योजना एवं आधारभूत संरचना के लिए शपथ-पत्र के आधार पर दो शैक्षणिक सत्र की अवधि हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की जायेगी तथा ऐसे संस्थानों को उक्त अवधि के भीतर निर्धारित संस्थागत विकास एवं निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।
परन्तु ऐसे संस्थान दो शैक्षणिक सत्र की अवधि में निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना, संस्थागत विकास की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में विफल रहते हैं तो ऐसे संस्थानों को B.Ed विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जाएगी।
- (iii) राज्य में संचालित एकल शिक्षक-शिक्षा संस्थानों के बहुविषयीकरण, शैक्षणिक विस्तार तथा नवीन संकायों एवं पाठ्यक्रमों के संचालन से संबंधित समस्त कार्यवाई संबंधित विश्वविद्यालयों के अधिनियमों, परिनियमों, अध्यादेशों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, कुलाधिपति तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों, शर्तों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप की जाएगी। इस अवधि के दौरान संबंधित संस्थान अपने वर्तमान संबद्ध विश्वविद्यालय के अधीन संचालित रहेंगे तथा नवीन संकायों, विषयों एवं पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु नियमानुसार आवश्यक स्वीकृतियाँ, मान्यताएँ एवं संबद्धता प्राप्त करेंगे।
- (iv) उक्त निर्णय के प्रभावी क्रियान्वयन, अनुश्रवण हेतु उच्च शिक्षा विभाग एवं कुलाधिपति सचिवालय द्वारा समय-समय पर विस्तृत कार्ययोजना, मानदंड तथा अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किए जायेंगे।

5. उपरोक्त के आलोक राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के दिशा-निर्देशों के मद्देनजर राज्य के लगभग 300 से अधिक एकल (Stand-Alone) शिक्षक-शिक्षा संस्थानों (B.Ed.) का बहुविषयक डिग्री महाविद्यालयों में रूपांतरण एवं शैक्षणिक सुदृढीकरण किया गया है।

6. उक्त निर्णय पर दिनांक 12.08.2026 को राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-11 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रौशन,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1011-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>